न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.
अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 244/2023

ग्राम पंयायत 16 एमएल जरिए बृजमोहन यादव उप प्रधान पंचायज समिति श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर ।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री बृजमोहन यादव – – प्रार्थी
2. पैरोकार राज – – अप्रार्थी 2

–:: निर्णय::–

दिनांक :– 08.01.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि श्रीमान् जी चक 16 एमएल के मुरबा नम्बर 12 के किला नम्बर 21 में गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत है व किला नम्बर 22, 23, 24, 25 में 2 बिस्वा रास्ता पिछले 25–30 वर्षों से चल रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में खडवंजा निर्माण भी किया हुआ है। अतः निवेदन है कि इस रास्ते को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित करें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी की मुख्य बहस यह रही कि चक 16 एमएल के मुरबा नम्बर 12 के किला नम्बर 21 में गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत है व किला नम्बर 22, 23, 24, 25 में 2 बिस्वा रास्ता पिछले 25–30 वर्षों से चल रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में खडवंजा निर्माण भी किया हुआ है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता की भूमि जमाबंदी में जिन अप्रार्थीगण के नाम थी उनके द्वारा जरिए पंजीकृत उपहार पत्र ग्राम पंचायत के लिए रास्ता स्वीकृत हेतु दी जा चुकी है। अतः निवेदन है कि इस रास्ते को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे। तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट भी प्रार्थी के पक्ष में है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जमाबंदियों का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा चाहे गये रास्ता की भूमि को अप्रार्थीगण द्वारा जरिए पंजीकृत उपहार पत्र दी जा चुकी है। मौका पर ग्राम पंचायत द्वारा खडवंजा का निर्माण किया हुआ है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र कमांक प.3(17)राज–6/2021पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2022 में भी जिन रास्तों पर विभागो द्वारा सडक निर्माण है रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किरने के आदेश हैं। अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता की भूमि को ग्राम पंचायत को उपहार में दिये

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

जाने से किसी प्रकार का प्रतिकर दिया जाना उचित नहीं है। प्रार्थी/ग्राम पंचायत द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायालय न्यायोचित पाता है।

—:: आदेश::—

अतः चक 16 एमएल के मुरबा नम्बर 12 के किला नम्बर 22, 23, 24 में 2—2 बिस्वा (प्रत्येक किला में) बतौर गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता की भूमि को ग्राम पंचायत को उपहार में दिये जाने से किसी प्रकार का प्रतिकर देय नहीं है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनाक 08.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

(रणजीत कुमार) राजस्व
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर